**न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), अनूपशहर, बुलन्दशहर।**
**उपस्थितः रुचि भाटी, (उ0प्र0न्यायिक सेवा)UP3588**
**विविध वाद संख्या 40 सन 2015**
**सोहनलाल बनाम भूदेव आदि।**

**<u>दिनांकः-10.07.2026</u>**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6C2 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9सी०पी०सी०, आदेश दिनांकित 26.02.2015 जो पूर्व में न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 138 सन 2011 सोहनपाल बनाम भूदेव आदि में पारित किया गया, जिसके द्वारा मूलवाद वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में खारिज किया गया, पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 6C2 पूर्व में सुना जा चुका है।

**<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 6C2</u>**

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 6C2 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी०पी०सी० दाखिल कर कथन किया है कि प्रस्तुत वाद में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2015 प्रार्थी/वादी की अदम पैरवी में पारित किया गया है, जिससे प्रार्थी की सख्त हकतल्फी है। उपरोक्त वाद में दिनांक 01.01.2015 नियत थी, जिसके बाद दिनांक 26.02.2015 नियत की गी लेकिन प्रार्थी को मुगालते के कारण दिनांक 26.03.2015 ध्यान रहा। प्रार्थी जब दिनांक 26.03.2015 को न्यायालय अपने वाद की पैरवी में आया तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने देख कर बताया कि उक्त वाद दिनांक 26.02.2015 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। अतः उक्त वाद में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2015 निरस्त कर वाद को पुनः नम्बर पर सत्यापित किया जाकर गुण व दोष के आधार पर निर्णीत करने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति कागज संख्या 9C2 दाखिल कर कथन किया है कि दिनांक 01.01.2015 को उसे दिनंक 26.03.2015 लगाये जाने का ध्यान रहा क्योंकि वाद में कभी भी डेढ़ महीने से अधिक की तारीख नहीं लगी। 26.03.2015 के बाद भी तीन दिन न्यायालय खुला था प्रार्थना पत्र पांच दिन बाद दिया गया था, जिससे सिद्ध है कि वादी ने झूंठा बहाना बनाया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र 6C2 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9सी०पी०सी०, आदेश दिनांकित 26.02.2015 जो पूर्व में न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 138 सन 2011 सोहनपाल बनाम भूदेव आदि में पारित किया गया, जिसके द्वारा मूलवाद वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में खारिज किया गया, को अपास्त कराने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अनुपस्थिति के बावत कथन किया गया है कि प्रार्थी को मुगालते के कारण दिनांक 26.03.2015 ध्यान रहा। प्रार्थी जब दिनांक 26.03.2015 को न्यायालय अपने वाद की पैरवी में आया तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने देख कर बताया कि उक्त वाद दिनांक 26.02.2015 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों से विदित होता है कि न्यायालय के मत में पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण पूर्णतः गुण-दोष के आधार पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनानुसार आदेश 9 नियम 09 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत आदेश दिनांकित 26.02.2015 जो पूर्व में न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 138 सन 2011 सोहनपाल बनाम भूदेव आदि में पारित किया गया, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थना पत्र 6C2 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। न्यायालय आदेश दिनांकित 26.02.2015 अपास्त किया जाता है। मूलवाद संख्या 138 सन 2011 सोहनपाल बनाम भूदेव आदि अपने मूल नंबर पर कायम हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24.08.2026 को पेश हो।

**10.07.2026**

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनूपशहर, बुलन्दशहर।